(60)

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर के समक्ष

R 4195 - PBR-16

1— गोमा पिता ओंकार सिंदडा

2— श्रीमती पुष्पाबाई बेवा रामलाल उर्फ रामा सिंदडा

3— भूपेन्द्र पिता रामलाल उर्फ रामा सिंदडा

जाति — सिर्वी

निवासी — सिंघाना

तहसील मनावर जिला धार (म.प्र.) — प्रार्थीगण

विरूद्ध

1— सुनील पिता रामलाल सिंदडा

2— निलेश पिता रामलाल सिंदडा

जाति — सिर्वी,

निवासीगण — सिंघाना तहसील मनावर जिला धार

3— लीलाबाई पति ऊंकार

जाति — सिर्वी

निवासी — जहेडी,

तहसील गंधवानी जिला धार — प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959

इसमें प्रार्थीगण श्रीमान अपर आयुक्त महोदय इन्दौर संभाग द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 430/15—16 में पारित आदेश दिनांक 12/09/2016 से असंतुष्ट होकर नीचे लिखे आधारों पर निगरानी प्रस्तुत करते है कि :—

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4195-पीबीआर/2016 [ओम/सुनील] जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12.4.2017	आवेदक अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित । अनावेदक अधिवक्ता श्री टी0टी0गुप्ता एवं श्री ओ0पी0शर्मा उपस्थित । उन्हें स्थगन बढाये जाने पर सुना गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त इंदौर संभाग द्वारा अपील प्रकरण कमांक 430/15-16 में पारित आदेश दिनांक 12-9-16 में स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किये जाने के कारण आवेदक द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाकर अपर आयुक्त को निर्देश दिये जाते हैं कि उभयपक्ष के उपस्थित होने तक प्रकरण में यथास्थिति बनायी रखी जाये और अपर आयुक्त न्यायालय प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण करें । अध्यक्ष	